न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/159

01. हरीराम पुत्र तोलाराम जाति मेघवाल निवासी 1 बीएम खाजूवाला

......प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–16.12.25**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 4,6,7 प्रत्येक में 0.2529 है0, 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पश्चित लंबाई दक्षिण दिशा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) 13 ता 16 प्रत्येक में 0.2529 है0 की कुल 1.8967 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है जो दिनांक 19.06.25 को पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 257 में पृष्ठ सं0 23 क्रम सं0 20250323101017 अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 951 के पृष्ठ सं0 187 से 194 पर कार्यालय उपपंजीयक खाजूवाला से पंजीबद्ध है। चक 8 केजेडी ए मु0नं0 6263 के किला नं0 4,6,7 प्रत्येक में 0.2529 है0, 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पश्चिम लंबाई दक्षिण दिशा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) 13 ता 16 प्रत्येक में 0.2529 है0 की कुल 1.8967 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते समय किला नं0 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पश्चित लंबाई दक्षिण दिशा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) को पटवारी हल्का द्वारा सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 4, 6 व 7, 13 ता 16 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया। वादी के नाम से चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 4,6,7 प्रत्येक में 0.2529 है0, 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पश्चित लंबाई दक्षिण दिशा यानी की किला नं0 13 की तरफ से) 13 ता 16 प्रत्येक में 0.2529 है0 की कुल 1.8967 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है और वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी की जरिये बैयनामा खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पश्चित लंबाई दक्षिण यानी की किला नं0 13 की तरफ से) का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में बैयनामा, नामान्तरण, जमाबंदी इत्यादि की प्रति व ज्ञानाराम बैयनामा कर्ता ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उक्त संशोधन किये जाने पर अनाप्ति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। चूंकि बैयनामा में किला नं0 8 का वादगत रकबा अंकित है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/63 के किला नं0 8 में 0.1264 है0 (पूर्व पश्चित लंबाई दक्षिण यानी की किला नं0 13 की तरफ से) कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में ज्ञानाराम पुत्र खेराजराम जाति मेघवाल निवासी मकान सं0 00 कॉलोनी–आठ केवाईडी शहर–खाजूवाला जिला बीकानेर की जगह हरीराम पुत्र तोलाराम जाति मेघवाल मकान सं0 00 कॉलोनी एक बीएम शहर खाजूवाला जिला बीकानेर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)